

चायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :- 81/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
01. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार लुणी।		01. रुधनाथसिंह पुत्र कानसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम सालावास तहसील लुणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा बाबत उपस्थित अधिवक्ता।

01. प्रार्थी की ओर से सरकारी भरोकार उपस्थित।

02. अप्रार्थी की ओर से सूचना के बावजूद कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

प्रार्थना-पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सालावास के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 224/1 कुल रकबा 0.3399 हेक्टर भूमि किस चतुर्थ सह खातेदार रुधनाथसिंह पुत्र कानसिंह जाति पुरोहित निवासी सालावास जोधपुर के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज है जबकि पटवारी हल्का सालावास ने अपनी जॉब रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि उक्त खसरे में सह खातेदार रुधनाथसिंह पुत्र कानसिंह जाति पुरोहित अपने हिस्से की भूमि जो खसरा नम्बर 224/1 में कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये व्यावसायिक प्रयोजन अर्थात् टेक्सटाईल का कार्य किया जा रहा है वक्त निरीक्षक मौके पर 12 पानी की होदिया 02 अड्डण 01 ट्यूबवेल पाया गया। वक्त निरीक्षक टेक्सटाईल संबंधी गतिविधियां बंद पायी गयी। उक्त भूमि का उपयोग बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत भूमि सिवायचक योग्य होने से सिवायचक दर्ज करने हेतु तहसीलदार लुणी द्वारा ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 224/1 कुल रकबा 0.3399 हेक्टर भूमि में से अप्रार्थी की 1/2 हिस्सा की भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया जावे व उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार लुणी द्वारा कार्यालय में पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। सूचना होने के बावजूद अप्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में आई गई। इस ही प्रकरण में तहसीलदार लुणी एक ओर प्रकरण इस खसरे सम्बन्धी प्रकरण पेश किया गया जिसके पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/407 दिनांक 04.09.2023 को पेश किया गया प्रकरण शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार लुणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि उक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 224/1 कुल रकबा 0.3399 हेक्टर में 1/2 हिस्से में अप्रार्थी रुधनाथसिंह पुत्र कानसिंह जाति पुरोहित निवासी सालावास के द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये व्यावसायिक प्रयोजन अर्थात् टेक्सटाईल का कार्य किया जा रहा है वक्त निरीक्षक मौके पर 12 पानी की होदिया 02 अड्डण 01 ट्यूबवेल पाया गया। उक्त भूमि का उपयोग बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत भूमि सिवायचक योग्य होने से सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया गया।

अतः प्रार्थी राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार लुणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लुणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 224/1 कुल रकबा 0.3399 हेक्टर में 1/2 हिस्से में अप्रार्थी रुधनाथसिंह पुत्र कानसिंह जाति पुरोहित निवासी सालावास के द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये व्यावसायिक प्रयोजन अर्थात् टेक्सटाईल का कार्य किया जा रहा है मौके पर बनाई हुई 12 पानी की होदिया 02 अड्डण 01 ट्यूबवेल पाया गया को मौके से हटाया जावे तथा उक्त 1/2 हिस्से की भूमि को सिवायचक दर्ज किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दफ़्तर हो।



(मुखराज कांसोटिया आर.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी,